



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227366
CG-DL-E-03062021-227366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सं. 33/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 389(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ और सिंगापुर (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “फेनोल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/41/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया था;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 150 (अ), दिनांक 3 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 7 जून, 2021 तक (जिसमें यह तारीख भी शामिल है) बढ़ा दिया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 284 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में अंक, अक्षर और शब्द “7 जून, 2021” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 अक्टूबर, 2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/16/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:-प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 150(अ), दिनांक 3 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

No. 33/2021 -Customs (ADD)

G.S.R. 389(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/41/2020-DGTR, dated the 31st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st December, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Phenol’ (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from European Union and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016, and had

requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries up to and inclusive of the 7th June, 2021, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021-Customs (ADD), dated the 3rd March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 150(E), dated the 3rd March, 2021;

And whereas, the designated authority has requested for further extension of the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016, namely-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and word “7th June, 2021”, the figures, letters and word “31st October, 2021” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/16/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016 and was last amended *vide* notification No. 11/2021-Customs (ADD), dated the 3rd March, 2021, published *vide* number G.S.R. 150(E), dated the 3rd March, 2021.